रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2009/फाल्गुन 18, 1930

No. 422] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2009/PHALGUNA 18, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

का.आ. 649(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन), आदेश, 2009 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना, आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण की बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् चीनी के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से चार मास की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

3. इस आदेश की कोई बात चीनी के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इस वस्तु के आयात पर लागू होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे चीनी के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें ।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबंध उपर्युक्त खंड 2 में वर्णित अवधि के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

[फा. सं. 10/1/2009-ई सी आर एंड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में आदेश सं. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें आदेश सं. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, सं. का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, सं. का.आ. 297 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, सं. का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, सं. का.आ. 400 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, सं. का.आ. 823 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008, सं. का.आ. 2117 (अ), तारीख 27 अगस्त 2008, सं. का.आ. 2118 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 2247 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 2248 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008 और सं. का.आ. 2249 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2009

S.O. 649(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following

Order further to amend the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, Sugar for a period of four months from the date of issue of this Order or further Order, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of sugar to places outside the State, nor shall it be applicable to import of this commodity :

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of sugar, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

[F. No. 10/1/2009-ECR&E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note :— The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended *vide* G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O. 1373(E), dated the 29th August, 2006, S.O. 297 (E), dated the 27th February, 2007, S.O. 1488(E), dated the 31st August, 2007, S.O. 400(E), dated the 28th February, 2008, S.O. 823 (E), dated the 7th April, 2008, S.O. 2117 (E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2247 (E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248 (E), dated the 22nd September, 2008 and S.O. 2249 (E), dated the 22nd September, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.